124/2016

16.11.2022 वादिनी के वकील अनुपस्थित।

वादिनी स्वयं भी उपस्थित नहीं हुई।

आज न्यायालय समय में लगभग 2 बजे बार आवाजें दिलाई गयी एवं अधिवक्ताओं से पूछे

एक बार पुनः आवाज दिलाई जाने के बावजूद भी वादी एवं उनके वकील अथवा किसी के भी उपस्थित नहीं होने से स्पष्ट होता है कि वे अपने दावे के पैरवी नहीं करना चाहते हैं यदि अपने पक्ष के याचिकाएं अग्रसर करते तो वादी पर अवश्य ही उपस्थित रहते।

लिहाजा वादी एवं उनके वकील अथवा किसी के भी उपस्थित नहीं होने से बाद अभी स्टेज पर अदम हाजरी व अदम पैरवी के आदेश दिया जाता है।

न्यायाधीश विनय कुमार सोरेन द्वारा घोषित

16/11/2022

न्यायाधीश कनिष्ठ

SDO सिंगभूमि

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:22:33 IST
Reason: SelfAttested